संख्या-329/2021/1631/41-2021-05 (सा0)/2021

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 17 जून, 2021**

विषयः-वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज एवं आगरा में पर्यटन विभाग के पर्यटन विकास कार्यों को उक्त महानगरों में स्थित सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-5799/कैबिनेट नोट/2021 दिनांक 01 फरवरी, 2021 एवं पत्र संख्या-7874/प्राधिकरण-कार्यदायी संस्था/21 दिनांक 25 मार्च, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज एवं आगरा में पर्यटन विभाग के पर्यटन विकास कार्यों को उक्त महानगरों में स्थित सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. अवगत कराना है कि विविध पर्यटन आकर्षणों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। भारत में घरेलू पर्यटकों एवं विदेशी पर्यटकों के आगमन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का क्रमशः प्रथम एवं तृतीय स्थान है। अपनी गौरवशाली ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासतों तथा समृद्ध प्राकृतिक वन सम्पदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीम सम्भावनायें विद्यमान हैं।

3. पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों एवं पर्यटन परिपथों के समन्वित एवं सुनियोजित पर्यटन विकास हेतु अनेक कार्य कराये जा रहे हैं। इस हेतु राज्य सेक्टर के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा बजट व्यवस्था के माध्यम से प्रतिवर्ष धनराशि उपलब्ध करायी जाती है और इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी स्वदेश दर्शन स्कीम एवं प्रासाद स्कीम के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त होती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न पर्यटन विकास योजनाओं का क्रियान्वयन वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के द्वारा नामित/स्वीकृत कार्यदायी संस्थाओं, यथा-उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन, सी. एण्ड डी.एस. (जल निगम) तथा अन्य कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से कराया जाता है। ऐसा अनुभव किया गया है कि प्रायः इन कार्यदायी संस्थाओं के पास पूर्व से ही कई विभागों के अनेक कार्य होते हैं, जिसके कारण इनके पास विविध कार्यों की अधिकता रहती है और इनके द्वारा पर्यटन विभाग के कार्यों को सुचारू एवं समयबद्ध रूप से सम्पादित करने में कठिनाई होती है। इस कारण अधिकतर पर्यटन विभाग की योजनायें निर्धारित टाईमलाईन के अनुरूप पूर्ण नहीं हो पाती हैं।

5. पर्यटन की सम्भावनायें ग्रामीण एवं नगरीय, दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। परन्तु प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में से काफी नगरीय क्षेत्र में ही अवस्थित हैं। नगरीय क्षेत्र में पर्यटकों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, यह भूमि प्रायः विकास प्राधिकरणों अथवा नगर निगमों के पास उपलब्ध रहती है। प्राधिकरण एवं नगर निगम की भूमि पर अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य कराने में कठिनाई होती है, इसलिए विकास प्राधिकरण के माध्यम से कार्य कराने में सुगमता होगी तथा समय की बचत भी होगी।

6. उल्लेखनीय है कि प्राधिकरणों के पास निर्माण/योजनाओं को लागू करने के लिए पहले से ही पर्याप्त तकनीकी स्टाफ उपलब्ध रहता है और पर्यटन कार्यों को सम्पादित करने के लिए उन्हें अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता नहीं होगी।

7. यहाँ पर यह भी अवगत कराना समीचीन होगा कि पर्यटन विभाग द्वारा विश्व बैंक सहायतित् उ0प्र0 प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य-क्षेत्रों में समस्त सिविल कार्यों के क्रियान्वयन हेतु मा0 मंत्रिपरिषद के द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, वाराणसी विकास प्राधिकरण एवं गोरखपुर विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया है।

8. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज एवं आगरा में पर्यटन विभाग के पर्यटन विकास कार्यों को उक्त महानगरों में स्थित सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद् द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:-

क- प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों, यथा-वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज एवं आगरा में पर्यटन विभाग के पर्यटन विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों को कार्यदायी संस्था नामित किया गया, जिनके द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में ही पर्यटन विकास सम्बन्धी कार्य किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

ख- इन परियोजनाओं हेतु सेन्टेज का निर्धारण प्रत्येक परियोजना हेतु सम्बन्धित विकास प्राधिकरण एवं पर्यटन विभाग के मध्य आपसी सहमति से किया जायेगा।

ग- प्रकरण में आवश्यकतानुसार अग्रतर निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

अतः कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या-329/2021/1631(1)/41-2021-05 (सा0)/2021 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मा0 मंत्री जी, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 लखनऊ।
4- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
5- **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव**
वित्त विभाग/नगर विकास विभाग/न्याय विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/वाहय सहायतित परियोजना विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- आयुक्त वाराणसी/गोरखपुर/अयोध्या/प्रयागराज/आगरा, मण्डल, उ0प्र0।
7- जिलाधिकारी, वाराणसी/गोरखपुर/अयोध्या/प्रयागराज/आगरा, उ0प्र0।
8- उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, वाराणसी/गोरखपुर/अयोध्या/प्रयागराज/आगरा, उ0प्र0।
9- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
10- उप निदेशक/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, वाराणसी/ गोरखपुर/ अयोध्या/ प्रयागराज/ आगरा, उ0प्र0।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।